न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.नं. 23/2018

उनवान

1. रविदत्त पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बरवाडा तहसील चौमू , तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमरपुरा तहसील चौमू , जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र गोपाल
2. धारासिंह पुत्र गोपाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अमरपुरा , तहसील चौमू जिला जयपुर राजस्थान।
3. मामराज पुत्र गोपाल
4. सोमदत्त पुत्र हजारीलाल
5. गजानन्द पुत्र गोरू
6. जगदीश प्रसाद पुत्र बद्री समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरवाडा तहसील चौमू ।
7. जगदीश प्रसाद पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट निवासी घोसल्या की ढाणी ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
8. सरदार मल पुत्र मोहनालाल जाति जाट निवासी ग्राम अमरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 11.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वह वाके ग्राम बरवाडा के हाल खसरा नम्बर 986 रकबा 0.82है0 संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि स्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 2 द्वारा जरिये विवस पत्र प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि को खरीद ली है। जिस कारण प्रार्थी संख्या 3 उक्त आराजीयात का खरीदशुदा मालिक है, उक्त भूमि के पश्चिम दिशा की प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र के मद नम्बर एक में वर्णित आराजीयाताका रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी संख्या 1 के चाचा रामेश्वर पुत्र बद्री पिछले लगभग 50 वर्षो से लापता है, जिनका उक्त आराजीयात में 1/8 हिस्सा निहित है, उक्त रामेश्वर की सिविल मृत्यु घोषित करवाने हेतु प्रार्थी 1 द्वारा सिविल न्यायालय में सिविल मृत्यु घोषित करवाने का सिविल वाद भी कर रखा है, जो लम्बित है। उक्त जगीन के पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि स्थित है, जिनके आराजी खसरा नम्बर 1560/2, 1561, 1562, 1564, 1565, 1566, 1567 स्थित है।

प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 986 का सीमाज्ञान तहसीलदार तहसील चौमू के आदेश दिनांक 10.05.2018 की अनुपालना में हल्का पटवारी दिनांक 11.06.2018 को मौके पर पहुचकर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष सर्वप्रथम ग्राम बरवाडा के आराजी खसरा नम्बर

Scanned by CamScanner

किस्म गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर बरवाडा के खसरा नम्बर 986 का दक्षिणी–पश्चिमी कोना कायम किया उक्त चिन्ह को ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 1569 किस्म गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर जॉच किया गया तद्उपरान्त ग्राम फतेहगढ के खसरा नम्बर 680 से उक्त खसरा नम्बर 986 के दक्षिणी–पश्चिमी के कोने को आधार मानते हुये नाप कर जरीब लाईन से खसरा नम्बर 986 का उत्तरी–पश्चिमी कोना कायम किया जो ग्राम बरवाडा व अमरपुरा की भी है, तद्उपरान्त सीमाचिन्ह बताकर फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार की गई व उपस्थित व्यक्तियों को पढा सुना समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पश्चिमी दिशा की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में एक वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 986 की सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 11.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी हेतु अप्रार्थी संख्या 9 का आदेशित किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 4,5,6,7 बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा अप्रार्थी संख्या जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्षकरान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 11.06.2018 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2018 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 08:58:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: